

2315  
21/12/13 vide 7506  
3-1-14

अनुसूची-14 फारम संख्या-562।

## न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर दरभंगा आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक- बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत  
सन्दर्भित वाद संख्या- 281/2013-14



उपेन्द्र नारायण यादव बनाम दयाशंकर यादव एवं 04 अन्य ।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख-सहित												
	<p>अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार भूमि निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रस्तुत इस वाद में उपेन्द्र नारायण यादव पिता- स्व0 तनुकलाल यादव ग्राम- कोयला स्थान थाना एवं अंचल- केवटी जिला- दरभंगा आवेदक तथा (1) दयाशंकर यादव (2) महामाया प्रसाद यादव दोनों पिता- स्व0 राजेन्द्र यादव (3) आलोक यादव पिता- दयाशंकर यादव ग्राम- कोयला स्थान विपक्षी प्रथम पक्ष (4) गौरीशंकर यादव पिता- स्व0 रामकृष्ण यादव (5) जयनन्दन राय पिता- स्व0 सोने लाल राय ग्राम- कोयला स्थान विपक्षी द्वितीय पक्ष हैं। विवाद के अन्तर्गत इस वाद में मौजा- कोयला स्थान थाना एवं अंचल- केवटी अन्तर्गत अद्योलिखित ब्योरे की भूमि है :-</p> <table border="1" data-bbox="310 1088 1247 1361"> <thead> <tr> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकवा</th> <th>चौहद्दी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23 पु0</td> <td>235 पु0</td> <td>00-01-10</td> <td>उत्तर- ठकुनी यादव, सुन्दर यादव</td> </tr> <tr> <td>134 नया</td> <td>447 नया</td> <td></td> <td>दक्षिण- मुनेश्वर साह पूरब- छेदी साह पश्चिम- सड़क, खन्ता</td> </tr> </tbody> </table> <p>अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक के वाद पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए वाद की प्रविष्टि दिनांक 16.07.2013 को की गई तथा विपक्षियों को अपना उचित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26.07.2013 को निबधित सूचना निर्गत की गई। सूचना पाकर विपक्षीगण कार्रवाई में उपस्थित हुए तथा अपनी ओर से उत्तर पत्र दाखिल किए हैं। आवेदक ने अपने वाद पत्र को साक्ष्य एवं शपथ पत्र से समर्थित करते हुए अधिनियम द्वारा निर्धारित शुल्क मो0 एक सौ रूपया फ्रेकिंग मशीन सं0- 3355 से दिनांक 15.07.2013 को जमा कर वाद पत्र प्रस्तुत किया है। उभय पक्षों के दावे प्रतिदावे पर विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते हुए वाद की विधिवत सुनवाई पूर्ण की गई है।</p> <p>प्रस्तुत वाद में आवेदक ने प्रश्नगत भूमि पर अपने right, title, Interest एवं possession को declare करने तथा उसपर विपक्षियों को किसी भी प्रकार से अपने दखल कब्जा में व्यवधान उपस्थित करने से रोक लगाने को अनुरोध किया है, जबकि विपक्षी</p>	खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी	23 पु0	235 पु0	00-01-10	उत्तर- ठकुनी यादव, सुन्दर यादव	134 नया	447 नया		दक्षिण- मुनेश्वर साह पूरब- छेदी साह पश्चिम- सड़क, खन्ता	
खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी											
23 पु0	235 पु0	00-01-10	उत्तर- ठकुनी यादव, सुन्दर यादव											
134 नया	447 नया		दक्षिण- मुनेश्वर साह पूरब- छेदी साह पश्चिम- सड़क, खन्ता											

281/2013

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख—सहित
	<p>प्रथम पक्ष ने प्रश्नगत भूमि पर अपने पूर्वज के समय से लगभग 80-85 से अपना घर होने का दावा किया है तथा आवेदक द्वारा दाखिल कागजातों को <b>totally false</b> एवं <b>fabricated</b> और दावे को <b>wrong</b> बताया है साथ ही साथ विपक्षी प्रथम पक्ष ने अपने <b>Cost</b> पर प्रश्नगत भूमि का सत्यापन कराने हेतु <b>local inspection</b> कराने का भी अनुरोध किया है।</p> <p>आवेदक के दावे के अनुसार प्रश्नगत भूमि दिनांक 11.06.1958 को इनके पूर्वज नेतीलाल यादव ने बयनामा द्वारा हासिल किया है तथा दिए गए वंशवृक्षानुसार नेतीलाल यादव को दो पुत्र धनुकधारी यादव एवं तनुकलाल यादव हुए तथा धनुकधारी यादव को एक पुत्र विमलचन्द यादव एवं तनुकलाल यादव के पुत्र आवेदक हैं। पुराना खाता नं0- 23 खेसरा नं0- 235 रकवा- 14 डीसमल का <b>R.S.</b> खाता नं0- 134 खेसरा नं0- 447 आवेदक के पिता के नाम बना है जिसके आधे हिस्से का अधिकारी आवेदक ने अपने आप को बताया है तथा कहा है कि विपक्षियों को प्रश्नगत भूमि के निमित कोई <b>right, title, interest, possession</b> नहीं रहा है, परन्तु विपक्षीगण प्रश्नगत भूमि में आवेदक को कृषि कार्य करने में <b>dispute</b> पैदा करने का <b>threatening</b> देते हैं।</p> <p>विपक्षी प्रथम पक्ष ने दावे के अनुसार प्रश्नगत भूमि <b>homestead</b> भूमि है जिसका <b>rent</b> नहीं लगता है तथा उसपर इनके पूर्वज के समय से (80-85 पूर्व से) आवासीय घर बना है जिस पुराने खेसरा नं0- 235 का तीन कट्टा भूमि इनके <b>fore-father</b> ने अर्जित किया था और उक्त पुराना कागजात घर में आग लगने से जल जाने के चलते इनके पास उपलब्ध नहीं है लेकिन प्रश्नगत भूमि पर इनका आवासीय मकान अवस्थित है।</p> <p>विपक्षी प्रथम पक्ष ने आवेदक द्वारा दाखिल कागजात का कभी भी <b>acted-upon</b> नहीं होना बताते हुए <b>forged and fabricated document</b> का है तथा आवेदक के वाद को <b>dismiss</b> करने का अनुरोध किया है।</p> <p>उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत दावे प्रतिदावे पर विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने से इस वाद में प्रश्नगत भूमि पर स्वत्व न्याय निर्णीत करने का जटिल प्रश्न संश्लिष्ट होना परिलक्षित होता है जिसका निदान सिर्फ सक्षम व्यवहार न्यायालय के द्वारा ही संभव है। चूंकि आवेदक प्रश्नगत भूमि पर अपना <b>right, title, interest</b> एवं <b>possession</b> होने का दावा करते हैं जबकि विपक्षी उसपर 80-85 वर्षों से अपना घर होने तथा प्रश्नगत भूमि को बेलगान भूमि होना बताते हैं तथा यह भी कहते हैं कि आवेदक द्वारा दाखिल कागजात का कभी</p>	

128/12/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>acted-upon नहीं हुआ तथा उक्त कागजात forget and fabricated है और इनका कागजात अगलगी में जल गया है।</p> <p>यह भी विदित होता है कि आवेदक ने प्रश्नगत भूमि पर अपने right, title, interest एवं possession को declare करने का अनुरोध किया है जो उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, चूंकि इस वाद में Complex Question of title involve होना स्पष्ट दृष्टिगोचर है।</p> <p>अतः प्रस्तुत वाद में Complex Question of title involve होने की स्थिति में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा- 4 (5) के तहत कार्रवाई close (बन्द) किया जाता है तथा व्यथित पक्ष को निदेशित दिया जाता है कि अपने दावे के उपचार के निमित्त सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष याचना कर सकते हैं।</p> <p>इस आदेश के साथ यह कार्रवाई निष्पादित किया जाता है। "अभिलेख संचिकास्त करें।"</p> <p>लेखापित्त एव शुद्धित    28/12/13  भू0 सु0 उप समाहर्ता  सदर, दरभंगा।</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता    28/12/13  भूमि सुधार उप समाहर्ता  सदर, दरभंगा।</p>	